संख्या-21/2015/1089/94/स्टा0नि0-2-700(223)/2013

प्रेषक

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

महानिरीक्षक
निबंधन
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 सितम्बर 2015

विषयः- **ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के आवेदन पत्र में त्रुटि के फलस्वरूप संशोधन के संबंध में।**

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-882/सं0वि0क0नि0-7/2012-700(97)/08 टी0सी0 दिनांक 09 अक्टूबर 2013 द्वारा ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र में लिपिकीय त्रुटि के संबंध में यह व्यवस्था की गयी थी "ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र के आवेदक द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर संग्रह केन्द्र द्वारा निर्गत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की प्रविष्टियों में हुई त्रुटि का सुधार नहीं किया जायेगा।"

2. विभिन्न स्तरों से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये जा रहे हैं कि बहुधा क्रेता की ओर से ई-स्टाम्प पत्र का क्रय दस्तावेज लेखक अथवा संबंधित अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, जिनके द्वारा कभी-कभी असावधानीवश आवेदन-पत्र में त्रुटि हो जाती है, यद्यपि इसमें कोई कदाशयता निहित नहीं होती है। जहाँ मुद्रित स्टाम्प पत्रों पर केवल क्रेता का नाम ही अंकित होता है तथा विलेख से संबंधित अन्य कोई विवरण अंकित नहीं होता है वहीं ई-स्टाम्प पत्र में क्रेता के नाम के अतिरिक्त भी अनेक सूचनाओं की प्रविष्टि की जाती हैं, जिसमें आवेदक के स्तर से भी असावधानीवश अथवा जानकारी के अभाव में त्रुटि होने की आशंका रहती है, जिसके उपरान्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र पर विलेख का निबंधन उप निबंधक कार्यालयों में स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसी दशा में संबंधित पक्षकार पर 10 प्रतिशत कटौती के साथ ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की वापसी तथा नये ई-स्टाम्प पत्र के क्रय के अतिरिक्त और कोई

http://shasanadesh.up.nic.in

विकल्प नहीं होता। इससे ई-स्टाम्प प्रणाली की लोकप्रियता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-4/1124/सं0वि0क0नि0-7-2014/700(223)/2013, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 में ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों में कार्यालय द्वारा की गयी लिपिकीय त्रुटियों के संशोधन की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, किन्तु इसमें आवेदक द्वारा की गयी त्रुटियों के संबंध में अलग से कोई प्राविधान नहीं है।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जनहित में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ई-स्टाम्प पत्र क्रय हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा किसी भी कॉलम में त्रुटिवश गलत विवरण अंकित कर दिये जाने के पश्चात तदनुसार निर्गत ई-स्टाम्प पत्र को शासनादेश संख्या-4/1124/सं0वि0क0नि0-7-2014/700(223)/2013, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 में विहित प्रक्रिया के अनुरूप ही एक बार ठीक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित विवरण में कोई ऐसा गुणात्मक परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा, जिसमें स्टाम्प की देयता प्रभावित होती हो।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-यथोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप निबन्धन, निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in